(53)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष: मनोज गोयल,

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/2017/3969 विरूद्ध आदेश दि. 11-04-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण क्रमांक 26/अपील/2016-17

1-रतनसिंह पुत्र स्व0श्री हजारीलाल
2-लखनलाल पुत्र स्व0श्री हजारीलाल
निवासीगण ग्राम बावडिया कलॉ भोपाल

विरूद्ध .....आवेदकगण

श्रीमती निशा शर्मा पत्नि प्रवीण शर्मा
निवासी एच-471 अरविन्द बिहार भोपाल .....अनावेदक
2-गनपत पुत्र स्व0श्री हजारीलाल
3-विजय सिंह स्व0श्री हजारीलाल
निवासीगण ग्राम बावडिया कलॉ भोपाल ..... परफॉर्मा अनावेदक

श्री पल्लव त्रिपाठी, अभिभाषक--आवेदकगण
श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक--अनावेदक क्रमांक 1
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक--अनावेदक क्रमांक 2 व 3

** आ दे श **

(आज दिनांक 5/4/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-04-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उभयपक्ष द्वारा ग्राम बावडिया कलां तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित खसरा क्रमांक 367, 374, 386/4/3/6, 366/3, 370/2 रकबा 2.54 एकड़ भूमि के संबंध में न्यायालय ग्यारहवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश भोपाल के व्यवहार वाद क्रमांक 32ए/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री

दिनांक 19-11-2002 द्वारा आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 तथा मृतक मॉ काशीबाई के पक्ष में स्वत्व एवं आधिपत्य की घोषणा की । उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध शासन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रथम अपील तथा सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर की गई, जो निरस्त हुई । उक्त आदेशों के आधार पर भूमि का नामान्तरण राजस्व अभिलेखों में किये जाने हेतु ग्यारहवे अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष इजरा प्रस्तुत किया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के पक्ष में भूमि का नामान्तरण दिनांक 30-9-2016 को किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 30-9-16 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13-1-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 11-4-2017 को आदेश पारित कर अनावेदक क्रमांक 1 निशा शर्मा, श्रीमती काशीबाई द्वारा की गई वसीयत में उल्लिखित 1/2 एकड़ भूमि पर अपने पक्ष में नामान्तरण कराने की पात्र है । इस कारण श्रीमती निशा शर्मा के संदर्भ में पारित आदेश दिनांक 30-9-16 एवं अनुविभागीय अधिकारी भोपाल के आदेश दि.13-1-2017 अपास्त करते हुये शेष भाग यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा काशीबाई व उनके वारिसानों की ओर से शासन के विरूद्ध पैरवी की गई थी और उक्त दौरान ही उक्त फर्जी व कूटरचित वसीयत तैयार की गई थी, जिसके आधार पर वह नामान्तरण कराने का अधिकारी नहीं है । यह भी कहा गया कि प्रकरण में स्वत्व का विवाद है और वाद आधारित वसीयत फर्जी व कूटरचित है ऐसी स्थिति में स्वत्व के निराकरण हेतु राजस्व न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकरण वाद आधारित वसीयत रजिस्टर्ड नहीं है और उनके साक्षियों द्वारा उसका खण्डन भी प्रस्तुत किया गया है ऐसी दशा में वसीयत के आधार पर की जा रही कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 के पति अधिवक्ता होकर प्रोफेशनल मिस-कन्डेक्ट एवं वैश्वासिक संबंधों का दुरूपयोग कर उक्त दस्तावेजों की कूटरचना की गई है

जिनके आधार पर उनकी पत्नी निशा शर्मा द्वारा कोई लाभ प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर नहीं देकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) तहसील के प्रकरण में संलग्न वसीयत दिनांक 22-11-05 से यह सिद्ध है कि उक्त वसीयत पर रतनसिंह लखनसिंह विजयसिंह गनपत के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर है और कही भी निगरानी में यह उल्लेख नहीं है कि उक्त वसीयत पर आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के हस्ताक्षर नहीं है और साक्षी के रूप में उक्त वसीयत पर चारों ने हस्ताक्षर नहीं किये है और ऐसा कोई भी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित एवं सिद्ध हो कि आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के हस्ताक्षर फर्जी एवं कूटरचित है ।

(2) अपर आयुक्तके समक्ष प्रस्तुत अपील के आदेश के टाइटल से यह प्रमाणित है कि आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 उक्त में अपील में अपीलार्थी है और यह एक वैधानिक बिन्दु है कि आवेदकगण अपने पक्ष में हुये आदेश के विरूद्ध न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत नहीं कर सकते है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आवेदक के पक्ष में ही पारित किया गया है ।

(3) आवेदकगण के इस तर्क का कोई महत्व नहीं है कि वसीयतधारी श्रीमती निशा शर्मा ने वसीयत दिनांक 22-11-2005 के आधार पर उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील 590/2009 एवं सुप्रीम कोर्ट की एस0एल0पी0 में पक्षकार बनने हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया यह ध्यान देने योग्य है कि माननीय उच्च न्यायालय व सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील निरस्त की है तो पक्षकारों को नोटिस न्यायालय से नहीं मिलते है और जब जानकारी भी पक्षकारों को नहीं होती है कि इस तरह की कोई अपील शासन द्वारा न्यायालय में की गई है । पक्षकार बनने हेतु अवसर की आवश्यकता कानूनी प्रकरण में होती है जब यह अवसर अनावेदक क्रमांक 1 श्रीमती निशा शर्मा या आवेदकगण के पास उपलब्ध नहीं था तब पक्षकार बनने हेतु आवेदन कैसे दे सकते थे ।

(4) नियमानुसार वसीयत का रजिस्टर्ड होना आवश्यक नहीं है ।

(5) आवेदकगण एवं अनावेदक क्रमांक 2 व 3 न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश पत्रिका हस्ताक्षरित की है और साक्ष्य अंकित कराये है और अपील स्वयं के द्वारा की गई है तो इस स्थिति में यह नहीं कह सकते कि आवेदकगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है ।

उनके द्वारा निगरानी निरस्त की जाकर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में आवेदक तथा अनावेदक क्रमांक 2 व 3 ने काशीबाई की वसीयत के संबंध में न केवल सहमति दी है, बल्कि अपने बयान भी कराये हैं तथा वसीयत के गवाह के तौर पर वसीयत की पुष्टि भी की है । अतः अब वह वसीयत को गलत नहीं ठहरा सकते है। प्रकरण में यह कहीं भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि काशीबाई को उक्त संपत्ति की वसीयत करने का अधिकार नहीं था । जहॉ तक व्यवहार न्यायालयों में चले वाद का प्रश्न है वह काशीबाई तथा उसके वारिसों एवं शासन के मध्य था । उस वाद का इस प्रकरण की विषयवस्तु से कोई संबंध नहीं है । स्पष्ट है कि अनावेदक क्रमांक 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत प्रमाणित हुई है तथा वह इस आधार पर नामान्तरण कराने की अधिकारी है, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष कि अनावेदिका क्रमांक 1 श्रीमती निशा शर्मा, श्रीमती काशीबाई द्वारा की गई वसीयत में उल्लिखित 1/2 एकड़ भूमि पर अपने पक्ष में नामान्तरण कराने की पात्र है, सही है इसलिये अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 11-04-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर